भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली के सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नजफगढ़ भी सामिल है, में "अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008- स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, नई दिल्ली के सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पताल जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़ भी शामिल है में "अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक" पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई- पर मेल कर सकते हैं।

(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011- 23061843

(राम नरेश)
(RAM NARESH)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीखः 2024

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2017, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 1981, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2021 और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, भर्ती नियम, 2019 को, जहाँ तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक और प्रवण श्रेणी लिपिक के समूह 'ग' पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफ़दरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, कलावती सरन बाल अस्पताल और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़, नई दिल्ली, में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी अस्पताल, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक और प्रवर श्रेणी लिपिक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्तिः** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्तिः** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अवर श्रेणी लिपिक	256* (2024) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। i) सफ़दरजंग अस्पताल-105 पद। (ii) डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल-44 पद	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रूपये)।	अचयन।	18 से 27 वर्ष के बीच आयु । (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मानक: (क) अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या (ख) हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अनुमत समय: दस मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन

	(iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल-81 पद (iv) कलावती सरन बाल अस्पताल-18 पद (v) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़-08 पद					पांच कुंजी दबाव के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट, क्रमशः 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा/9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा के समतुल्य है।) टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-नहीं अर्हता-हाँ, स्तंभ सं. (7) में उपदर्शित सीमा तक।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की	(I) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (II) नई दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में 10% रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-01(18000-56900 रुपये)में ऐसे	जैसा स्तम्भ(10) में उल्लिखित है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

	अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा	समूह 'ग' कर्मियों में से भरी जाएंगी, जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में 50 वर्ष) है। टिप्पण: यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारियों की उपलब्धता हो, तो उत्तरवर्ती वर्षो के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये ऐसे अतिरेक कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा, ताकि पहले के परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर, बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके ।		2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य;	

		(III) नई दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में 5% रिक्तियाँ ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-01(18000-56900 रुपये) में पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।		3. उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. प्रवर श्रेणी	221* (2024)	साधारण केंद्रीय	वेतन मैट्रिक्स में स्त	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

लिपिक	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। i) सफ़दरजंग अस्पताल-81 पद। (ii) डॉं राम मनोहर लोहिया अस्पताल-77 पद (iii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल-40 पद (iv) कलावती सरन बाल अस्पताल-18 पद (v) ग्रामीण	सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	तर-4 (25500-81100 रुपए)।				

	स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़- 05 पद						

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	60 % प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)	प्रोन्नति- नई दिल्ली में सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों ऐसे अवर श्रेणी लिपिक से प्रोन्नति, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रुपए) में उस	विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः 1. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

	पर स्थानांतरण द्वारा। 40 % प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) पर स्थानांतरण द्वारा।	श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्तिः** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी- क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हैं: या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रुपये) में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस पद पर आठ वर्ष की सेवा की हो: और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता होः- 1. जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।	2. उप निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. उप निदेशक (चिकित्सा अस्पताल/अस्पताल प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	

		2. जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी मामलों में दो वर्षों का अनुभव हो। **टिप्पण** 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण** 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/01/2020-एमएच-II]

(राम नरेश)

अवर सचिव, भारत सरकार